मेरठ विकास प्राधिकरण

की

49वीं बोर्ड बैठक

दिनॉक 7—4—94

का

कार्यवृत्त

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की बैठक दिनाँक 7-4-94

समय : 11-00 बजे (पूर्वान्ह)

स्थान : प्राधिकरण कार्यालय सभाकक्ष

उपस्थिति :

1-	श्री एच०एल०बिरदी	आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ ।	अध्यक्ष
2-	श्री पी०के०सिन्हा	उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, मेरठ ।	उपाध्यक्ष
3-	श्री शंकर अग्रवाल	विशेष सचिव(वित्त), उ०प्र०शासन, लखनऊ ।	सदस्य
4-	श्री उमाकान्त	प्रशासक, नगर महापालिका, मेरठ ।	सदस्य
5-	श्री आर०के० भटनागर	संयुक्त निदेशक, उद्योग, मेरठ मण्डल, मेरठ ।	सदस्य
6-	श्री वी०के०गुप्ता	मुख्य अभियन्ता, उ०प्र०जलनिगम, गाजियाबाद ।	सदस्य
7-	श्री वाई०पी०कोठारी	अधीक्षण अभियन्ता, राज्य विद्युत परिषद,उ०प्र०,मेरठ ।	सदस्य
8-	श्री अरविन्द कुमार द्विवेदी	उप आवास आयुक्त, मेरठ ।	सदस्य
9-	श्री वी०के०गुप्ता	सहयुक्त नियोजक, सम्भागीय नियोजन खण्ड, मेरठ ।	सदस्य

अन्य उपस्थित

1- श्री जे०बी०सिंह, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मेरठ ।

(श्री पवन कुमार, अधीक्षण अभियन्ता-विद्युत के प्रतिनिधि)

मेरठ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 7-4-94 का कार्यवृत्त

मेरठ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 7-4-94 को मण्डलायुक्त/अध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की अध्यक्षता में पूर्वान्ह 11-00 बजे प्राधिकरण के सभाकक्ष में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्न अधिकारियों/सदस्यों ने भाग लिया।

1-	श्री एच०एल०बिरदी	आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।
2-	श्री पी०के०सिन्हा	उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, मेरठ।
3-	श्री शंकर अग्रवाल	विशेष सचिव(वित्त), उ०प्र०शासन, लखनऊ।
4-	श्री उमाकान्त	प्रशासक, नगर महापालिका, मेरठ।
5-	श्री आर०के०भटनागर	संयुक्त निदेशक, उद्योग, मेरठ मण्डल, मेरठ।
6-	श्री वी०के०गुप्ता	मुख्य अभियन्ता, उ०प्र०जलनिगम, गाजियाबाद।
7-	श्री वाई०पी०कोठारी	अधीक्षण अभियन्ता, राज्य विद्युत परिषद,उ०प्र०,मेरठ।
8-	श्री अरविन्द कुमार द्विवेदी	उप आवास आयुक्त, मेरठ।
9-	श्री वी०के०गुप्ता	सहयुक्त नियोजक, सम्भागीय नियोजन खण्ड, मरेठ।

अन्य उपस्थित

1- श्री जे०बी०सिंह, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मेरठ।

(श्री पवन कुमार, अधीक्षण अभियन्ता-विद्युत के प्रतिनिधि)

सर्वप्रथम प्राधिकरण की ओर से मण्डलायुक्त/अध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण श्री एच०एल०बिरदी का स्वागत किया गया तथा पूर्व मण्डलायुक्त/अध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण श्री बी०एस०लाली के प्रति उनके सुयोग्य मार्गदर्शन हेतु आभार व्यक्त किया गया एवं बैठक में भाग लेने आये अन्य सभी सदस्यों का स्वागत किया गया।

मद संख्या-1

प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 27-9-93 के कार्यवृत्त की पुष्टि ।

सर्व सम्मति से बैठक दिनाँक 27-9-93 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी ।

मद संख्या - 2

बैठक दिनाँक 27-9-93 के कार्यवृत्त पर अनुपालन आख्या ।

दिनाँक 27-9-93 के कार्यवृत्त से सम्बन्धित अनुपालन आख्या बैठक में प्रस्तुत की गयी तथा अनुपालन पर सन्तोष व्यक्त किया गया । जिन बिन्दुओं पर चर्चा हुई, उनके सम्बन्ध में मद संख्या वाद निम्नानुसार निर्णय लिये गये:-

अन्य बिन्दु

अन्य बिन्दु शीर्षक के अन्तर्गत क्रमांक - 1 पर उल्लिखित पशुपालको को अन्यत्र स्थनान्तरित किये जाने के प्रकरण में योजना के क्रियान्वयन हेतु बाँछित संसाधनों की व्यवस्था आदि पर सुझाव देते हुए आगामी बैठक में एक सुविचारित प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया ।

क्रमांक - 3 पर उल्लिखित निबन्धन शुल्क से एक-एक प्रतिशत का जो भाग प्राधिकरण/आवास विकास परिषद को देय होता है उसके सम्बन्ध में शासन को विस्तृत पत्र मण्डलायुक्त की ओर से भेजा जा चुका है, इस सम्बन्ध में यथासमय पुन: अनुस्मारक पत्र भेजे जाने का निर्णय लिया गया ।

मद संख्या - 1 (अ)

प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति पर अध्यावधिक समीक्षात्मक टिप्पणी

इस सन्दर्भ में यह निर्णय लिया गया कि आवास विकास परिषद द्वारा प्राधिकरण को देय लगभग रुपये 6 करोड की धनराशि की अदायगी हेतु पुन: एक पत्र मण्डलायुक्त की ओर से शासन को प्रेषित किया जाये । ग्रामीण सीलिंग वादों की तरह भूअर्जन के मामलों में भी लैण्ड रैफ्रेन्स के वादों की सुनवाई का अधिकार मण्डलायुक्त को दिये जाने के बिषय में शासन को पत्र भेजा गया हैं इस सन्दर्भ में भी यथासमय अनुस्मारक पत्र भेजे जाने का निर्णय लिया गया ।

बैठक दिनाँक 7-4-93 में रखे गये प्रस्ताव

मद संख्या - 3

प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहीत भूमि के भूस्वामियों को भवन/ भूखण्ड के आबंटन में कतिपय सुविधायें दिया जाना।

विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त ऐसे किसानों को जिनकी प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में भूमि अधिग्रहीत हुई है, निम्नानुसार आबंटन में सुविधायें दिये जाने का निर्णय लिया गया :-

1- जिस योजना विशेष के लिये काश्तकार की भूमि अधिग्रहीत हुई है उन्हें उसी योजना में सुनिशिचत आबंटन की सुविधा दे दी जाये ।

2- यदि कोई काश्तकार जिनकी भूमि अधिग्रहीत हुई है, वह प्राधिकरण की किसी अन्य योजना में पंजीकृत हो और वह उन योजनाओं मे पंजीकरण परिवर्तना कराना चाहें जहाँ उनकी भूमि अधिग्रहीत हुई है तो उन्हें नि:शुल्क पंजीकरण परिवर्तन की सुविधा दे दी जाये ।

3- यदि किन्हीं योजनाओं में भवन/ भूखण्ड रिक्त हैं तथा जिनके समक्ष अन्य पंजीकृत व्यक्ति शेष न हों तो वहाँ उक्त काश्तकारों को मनपसन्द भवन/ भूखण्ड के आबंटन की सुविधा दे दी जाये ।

4- विशेष परिस्थितियों में गुणावगुण के आधार पर उपाध्यक्ष के निर्णयाधीन किसानों को उनकी प्रार्थना पर आबंटन धनराशि को किश्तों में समायोजित करने की सुविधा दी जा सकती है ।

5- उपरोक्त सुविधायें एक काश्तकार के परिवार को केवल एक भवन या एक भूखण्ड के आबंटन तक की अनुमन्य होगी ।

यह निर्णय भी लिया गया कि शासन द्वारा प्रेषित राज्य आवास नीति को दृष्टिगत रखते हुऐ ऐसे काशतकार, जिनकी मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि अर्जित की गयी है और वह स्वेच्छा से यह लिखित अनुरोध करते हैं कि वह भूमि प्रतिकर में वृद्धि हेतु रेफ्रेन्स का वाद दायर नहीं करेंगे, उन्हें उपरोक्त सुविधा के अतिरिक्त भवन/ भूखण्ड के मूलयांकन में कुल मूल्य पर 10 प्रतिशत की छूट दिये जाने के लिये प्रस्ताव शासन की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाये ।

शासन की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही मूल्य में यह छूट देने की व्यवस्था लागू हो सकेगी ।

मद संख्या - 4

अर्न्तराष्ट्रीय/ राष्ट्रीय/ प्रदेश स्तर के ख्याति प्राप्त खिलाडियों अथवा सेना/ पुलिस पदक विजेताओं को भवन/ भूखण्ड के आबंटन में कतिपय सुविधायें दिया जाना ।

प्रस्ताव पर विस्तृत परिचर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया कि प्रदेश के अन्य प्राधिकरणों से भी इस बिषय में स्थिति ज्ञात कर ली जाये एवं तदोपरान्त सम्पूर्ण विवरण सहित प्रस्ताव यथासमय बोर्ड बैठक में विचारार्थ रखा जाये ।

मद संख्या - 5

प्राधिकरण में कार्यरत कर्मचारियों को भवन/ भूखण्ड के आबंटन में कतिपय सुविधायें दिया जाना ।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि इस बिषय में प्रदेश के अन्य प्राधिकरणों में प्रचलित व्यवस्था के सम्बन्ध में स्थिति ज्ञात कर ली जाये एवं तदोपरान्त पूर्ण विवरण सहित सुविचारित प्रस्ताव यथासमय बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये ।

मद संख्या -6

मेरठ विकास प्राधिकरण में स्टाफिंग पैटर्न एवं दैनिक वेतन/ वर्कचार्ज कर्मचारियों को देय पारिश्रमिक के सन्दर्भ में ।

इस सम्बन्ध में विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि मेरठ विकास प्राधिकरण में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों हेतु उत्तर प्रदेश शासन के वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 के आदेश सं०- जी - 2 - 353/ दस - 94-391/85 लखनऊ दिनाँक 30 मार्च, 1994 के परिप्रेक्ष्य में दिनाँक 1-4-94 से "घ" श्रेणी के कर्मचारियों के लिये प्रतिदिन पारिश्रमिक रु० 30/- से बढाकर रुपये 35/- तथा "ग" श्रेणी के कर्मचारियों का पारिश्रमिक प्रतिदिन रुपये 35/- से बढाकर रुपये 40/- प्रतिदिन अनुमन्य कर दिया जाये । यह निर्णय भी लिया

गया कि भविष्य में इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार ही प्राधिकरण में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के लिये अलग से प्राधिकरण बोर्ड में प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी ।

मद संख्या - 7

अनाधिकृत कालोनियों हेतु शमन शुल्क बढाये जाने के सम्बन्ध में ।

प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनाँक 27-9-93 में लिये गये निर्णय के क्रम में शमन शुल्क निर्धारण हेतु (1) सर्किल रेट, (2) अपराध की प्रकृति एवं (3) अपराधि की अवधि के परिप्रेक्ष्य में तैयार किये गये प्रस्ताव पर विस्तृत परिचर्चा हुई । बैठक में यह सुझाव रखा गया कि प्राधिकरण क्षेत्र में भिन्न-भिन्न सर्किल रेट के आधार पर भिन्न-भिन्न शमन शुल्क निर्धारित करने की अपेक्षा यह अधिक उपयुक्त एवं व्यवहारिक होगा यदि सर्किल रेटस दर का एक निशिचित प्रतिशत अवधारित करते हुए शमन शुल्क निर्धारित किया जाये । विचारविमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि इस सन्दर्भ में सर्किल रेट पर आगणित उक्त कालोनी में निहित कुल भूमि मूल्य का दो प्रतिशत शमन शुल्क निर्धारित किया जाये ।

जहाँ तक अपराध की प्रकृति एवं अपराध की अवधि के आधार पर शमन शुल्क निर्धारण का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में और अधिक विस्तार से विचार किये जाने की आवश्यकता महसूस की गयी । यह निर्णय लिया गया कि इन मापदण्डों के बारे में और अधिक गम्भीरता से विचार करके प्रस्ताव तैयार किया जाये तथा उसे प्राधिकरण के सभी सदस्यों को उपलब्ध कराते हुए उनके सुझाव आमन्त्रित किये जायें तदोपरान्त प्राप्त सुझावों का समावेश करते हुए उपयुक्त प्रस्ताव बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये एवं जब तक प्राधिकरण बोर्ड से अन्तिम निर्णय नहीं हो जाता तब तक शमन हेतु प्राप्त प्रकरणों में उपरोक्तानुसार सर्किल रेट पर आधारित भूमि मूल्य का दो प्रतिशत शमन शुल्क वसूल करते हुए यह शर्त लगा दी जाये कि प्राधिकरण बोर्ड के अन्तिम निर्णय के अनुसार जो देयता उन पर अन्ततः निर्धारित होगी वह उनके द्वारा देय होगी ।

मद संख्या - 8

विकास प्राधिकरण की योजनान्तर्गत सहकारी आवासीय समितियों एवं निजी प्रोत्साहकों की अधिग्रहीत भूमि के बदले भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में नीति निर्धारण।

प्राधिकरण बोर्ड की विगत बैठक दिनाँक 27-9-93 में लिये गये निर्णयानुसार विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सहकारी आवासीय समितियों एवं निजी प्रोत्साहकों की भूमि के बिषय में अपेक्षानुसार विस्तृत सूचना बैठक में प्रस्तुत की गयी। शासनादेश सं०- 8598 दिनाँक 11-1-91 के परिप्रेक्ष्य में विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि जिन सहकारी समितियों की भूमि अधिग्रहीत कर ली गयी थी और वह अभी भी क्रियाशील हों तथा अन्य सभी शर्तें पूरी करती हों तो उन्हें उनकी अधिग्रहीत भूमि कुल भूमि के 40 प्रतिशत की सीमा तक भूमि का पुर्नआबंटन किया जा सकता है।

विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय भी लिया गया कि सहकारी आवासीय समितियों को उपरोक्तानुसार भूमि के आबंटन के सम्बन्ध में निम्नानुसार मूल्यांकन किया जाये :-

1- आबंटित भूमि के मूल्यांकन के अंश में से केवल उतना अंश घटा दिया जाये जो समिति को प्रतिकर के रुप में देय हो।

2- बाहय एवं आन्तरिक विकास व्यय जो देय होगा, वह प्राधिकरण द्वारा किये गये वास्तविक व्यय पर आधारित होगा। यदि विकास कार्य अब तक नहीं कराये गये हों तो वह वर्तमान अनुमानित व्यय पर आधारित होंगे।

3- समिति को पुर्न आबंटित की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल का प्रतिकर देय नहीं होगा।

4- समिति को उपरोक्तानुसार आबंटित की गयी भूमि के सम्बन्ध में निबन्धन कराना अनिवार्य होगा।

मद संख्या - 9

प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं में निजी क्षेत्र के निर्माताओं का योगदान प्राप्त करने हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों पर विचार कर प्राधिकरण की नीति तय करने के सम्बन्ध में।

बैठक में उत्तर प्रदेश आवास अनुभाग के पत्रांक 1386/37-1-93- 13 विविध/93 दिनाँक 9-7-93 द्वारा प्रेषित आवास एवं विकास परिषद एवं विकास प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं में निजी क्षेत्र के निर्माताओं का योगदान प्राप्त करने हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में प्राधिकरण की विगत बोर्ड बैठक दिनाँक 27-9-93 में लिये गये निर्णय के क्रम में गठित समिति द्वारा पंजीकरण प्रक्रिया एवं मानकों आदि के निर्धारण के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव को विचारोपरान्त निम्न संशोधनों के साथ स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया ।

प्रस्ताव के प्रस्तार 8 - 2 - 4 में की गयी व्यवस्था कि पंजीकृत निर्माता मेरठ विकास प्राधिकरण के अतिरिक्त मण्डल के अन्य नगरों में भी कार्य कर सकेंगे परन्तु एक साथ "क" तथा "ख" श्रेणी के चार से अधिक नगरों में कार्य न कर सकेंगे, से सम्बन्धित प्राविधान उपयुक्त नहीं पाया गया । अत: इस प्रस्तर को विलुप्त किये जाने का निर्णय लिया गया ।

प्रस्तर 8 - 3 - 1 के अन्तर्गत प्रस्तावित की गयी समिति को और अधिक व्यापक एवं उपयोगी बनाये जाने के दृष्टिकोण से प्रस्तावित "पंजीकरण एवं आबंटन समिति" में उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण तथा नौयडा एवं गेटर नौयडा अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधियों को भी रखे जाने का निर्णय लिया गया । साथ ही प्रस्तावित समिति में चूँकि उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण सदस्य हैं अत: उक्त समिति में मुख्य नगर नियोजक , मेरठ विकास प्राधिकरण तथा सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण को अलग से सदस्य के रुप में रखे जाने की आवश्यकता नहीं समझी गयी ।

अत: प्रस्तावित "पंजीकरण एवं आबंटन समिति" का निम्नानुसार गठन किये जाने का निर्णय लिया गया :-

1-	आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ ।	अध्यक्ष
2-	उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ ।	सदस्य-संयोजक
3-	प्रशासक/मुख्य नगर अधिकारी, नगरमहापालिका, मेरठ ।	सदस्य
4-	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश ।	सदस्य
5-	उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद ।	सदस्य
6-	अध्यक्ष, नौयडा अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि ।	सदस्य
7-	अध्यक्ष, ग्रेटर नौयडा विकास प्राधिकरण अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि ।	सदस्य

यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तर 8 - 3 -1 के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार गठित समिति की संस्तुति पर पात्र निजी निर्माताओं का पंजीकरण करने एवं समस्त शर्तो की पूर्ति की स्थिति में भूमि आबंटन बिषयक अन्तिम निर्णय लेने का अधिकार प्राधिकरण बोर्ड में निहित होगा और इसकी सूचना शासन को भेजी जायेगी ।

यह निर्णय भी लिया गया कि प्रस्तर 8 - 3 - 2 के अन्तर्गत प्रस्तावित अलग प्रकोष्ठ की स्थापना की आवश्यकता नहीं है । समस्त कार्यवाही प्रस्तर 8 - 3 - 1 के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार गठित "पंजीकरण एवं आबंटन समिति" के स्तर से सम्पन्न की जायेगी तथा मेरठ विकास प्राधिकरण उक्त समिति के सचिवालय के रुप में कार्य करेगा ।

उत्तर प्रदेश शासन, आवास अनुभाग के पत्रांक 1386/37-1-93-13 - विविध/93 दिनाँक 9-7-93 द्वारा प्रसारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों के बिन्दु 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18,19, 20, 21, 22, 23 व 24 में दी गयी शर्तें उचित पायी गयी तथा उन्हें यथावत लागू करने का निर्णय लिया गया । परन्तु बिन्दु - 9 के सन्दर्भ में आबंटन - पत्र प्राधिकरण बोर्ड के निर्णय के उपरान्त ही जारी किये जाने तथा बिन्दु-14 के सम्बन्धमें की गयी व्यवस्था को प्राधिकरण बोर्ड की विगत बैठक दिनाँक 27-9-93 में लिये गये निर्णय के अनुसार संशोधित किये जाने का निर्णय लिया गया ।

मद संख्या - 10

मै० इलैक्ट्रा इण्डिया लि० द्वारा आबू नाले पर व्यवसायिक केन्द्र बनाने के सम्बन्धमें जमा की गयी धनराशि वापस माँगे जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव के सम्बन्ध में विस्तृत विचार विमर्श हुआ। यह निर्णय लिया गया कि चूँकि इस प्रकरण पर मा० विधान परिषद की समिति द्वारा की जा रही जाँच के अन्तिम निर्णय प्राप्त नहीं हुए हैं अत: मै० इलैक्ट्रा इण्डिया लि० द्वारा प्राधिकरण में जमा करायी गयी धनराशि को वापस किये जाने के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण शासन को प्रेषित करते हुए शासन के निर्देश प्राप्त किया जाना उपयुक्त होगा।

मद संख्या - 11

प्राधिकरण की स्पोर्टस गुडस काम्पलैक्स योजना के अन्तर्गत मैसर्स दीवान रबर इन्डस्ट्रीज की भूमि के समायोजन का प्रस्ताव।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि चूँकि सन्दर्भित भूमि प्राधिकरण की एक महत्वपूर्ण योजना में पडती है और प्राधिकरण के लिये अत्यधिक उपयोगी है अत: इस भूमि के सम्बन्ध में जो वाद माननीय उच्च न्यायायलय के समक्ष लम्बित है उसमें प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करते हुए स्थगनादेश निरस्त कराने हेतु प्रभावी का पैरवी सुनिश्चित करते हुए स्थागनादेश निरस्त कराने हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

मद संख्या - 12

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कतिपय रिट याचिकाओं में दिये गये निर्देशों के क्रम में प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारण एवं कुछ अन्य अर्जित भूमि को अर्जन से मुक्त करने सम्बन्धी प्रार्थना-पत्रों पर विचार।

विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि शताब्दी नगर आवासी योजनाके सम्बन्धमें रिट सं०-5498/90 श्री अशोक इन्डस्ट्रीज, रिट

सं०-23183/87, श्री सुरेन्द्र कुमार आदि रिट सं०- 23183/87, श्री नीरज कुमार गुप्ता आदि रिट सं०- 24224/88, मैसर्स यातायात इन्वेस्टमेन्ट लि० तथा रिट सं०-18896/87 मैसर्स जय सन्स के सन्दर्भ में बोर्ड बैठक दिनाँक 27-9-93 के निर्णयानुसार गठित समिति की प्रस्तावना के अनुसार एवं माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में सम्पूर्ण विवरण भेजते हुए प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया जाये ।

प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में जहाँ धारा-4 की विज्ञप्ति से पूर्व के भवन निर्मित हैं तथा जिनमें अधिकांश लोग रह रहे हैं अथवा ऐसे प्रकरण जिनमें प्राधिकरण द्वारा कतिपय ऐसे भूखण्ड अर्जित किये गये हैं जिनके अगल बगल की भूमि या तो अधिग्रहीत नहीं हुई है अथवा उन्हें अर्जन से मुक्त करने की संस्तुति शासन से की गयी थी तथा एवार्ड घोषित नहीं हुआ था, ऐसे मामलों में प्राप्त प्रत्यावेदनों पर विचार करने हेतु प्राधिकरण स्तर पर एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया जिसमें सचिव, मुख्य अभियन्ता, मुख्य नगर नियोजक, सम्बन्धित योजना के अधिशासी अभियन्ता तथा संयुक्त सचिव सम्मिलित होगें । यह समिति ऐसे मामलों का परीक्षण करके अपनी संस्तुति उपाध्यक्ष को प्रेषित करेगी । साथ ही ऐसे मामलों जिसमें धारा-4 से पूर्व का निर्माण पाया जाता हे उनके सम्बन्ध में वास्तविक निर्मित क्षेत्रफल, आवश्यक सैट बैक एवं पहुँच मार्ग के लिये भूमि एवं देय विकास शुल्क आदि का आकलन भी इसी समिति द्वारा किया जायेगा । उक्त समिति की संस्तुतियों के सन्दर्भ में भी यदि अवशेष धनराशि गन्ना विभाग द्वारा जमा नहीं करायी जाती है तो उसका प्राधिकरण द्वारा प्रयोग/निस्तारण किया जाये ।

प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर तैनात विधि परामर्शी एवं संयुक्त सचिव प्रथम को किराये की प्रतिपूर्ति किये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव पर विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो द्वारा निर्गत निर्देशों के सन्दर्भ में परीक्षण करके आवश्यक कार्यवाही की जाये ।

मद संख्या - 14

आय -व्ययक अनुमान बर्ष 1994-95 पर विचार एवं अनुमोदन।

आय व्ययक अनुमान बर्ष 1994-95 के बजट प्राविधानों के विपरीत हुए वास्तविक आय - व्यय एवं वित्तीय बर्ष 1994-95 के प्रस्तावित आय-व्यय पर विस्तार से चर्चा हुई। प्राधिकरण की ओर से अवगत कराया गया कि बर्ष 1994-95 का बजट विगत बर्षो की वास्तविक उपलब्धियों के आधार पर बनाने का प्रयास किया गया है। विचार विमर्श के उपरानत राजस्व प्राप्तियों के अन्तर्गत विभिन्न मदों पर चर्चा के उपरान्त स्टाम्प डयूटी से आय में रु० 40.00 लाख की आय का अनुमान, भवन नियन्त्रण मदों में रु० 9-39 लाख के स्थान पर रु० 60-00 लाख का अनुमान तथा अनियमित कालोनियों को नियमित करने के मद में रु० 2-00 लाख की आय के स्थान पर रु० 10-00 लाख का अनुमान पारित किया गया। इस प्रकार राजस्व प्राप्तियों से कुल रुपये 213-00 लाख आय का अनुमान पारित किया गया।

राजस्व व्यय के अन्तर्गत विभिन्न मदों पर चर्चा के उपरान्त लाईब्रेरी व्यय रुपये दस हजार के स्थान पर पन्द्रह हजार का प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रकार राजस्व मदों में कुल रुपये 310-00 लाख 55 हजार के व्यय का प्रस्ताव पारित किया गया।

पूँजीगत आय की मदों पर चर्चा के उपरान्त अनुदान से प्राप्तियों में रु० 15-00 लाख का अनुमान पारित किया गया। इस प्रकार पूँजीगत आय कुल रु० 6204 लाख 25 हजार का अनुमान पारित किया गया।

पूँजीगत व्यय की मदों के सन्दर्भ में कर्मचारियों/अधिकारियों को दिये जाने वाले भवन निर्माण/मरम्मत अग्रिम की प्रस्तावित मद के सम्बन्ध में यह विचार प्रस्तुत हुआ कि प्राधिकरण कर्मचारियों/अधिकारियों को उनके भवन/भूखण्ड क्रय हेतु एच०डी०एफ०सी० आदि संस्थाओं से ऋण दिलायें जाने का प्रयास किया जाना चाहिए अत: इस मद में रु० 8-00 लाख के स्थान पर रुपये 7-00 लाख व्यय का प्राविधान पारित किया गया। इस प्रकार पूँजीगत व्ययकुल रुपये 6226-00 लाख 85 हजार के व्यय का प्रस्ताव पारित किया गया।

इस प्रकार वित्तीय बर्ष 1994-95 का प्रस्तावित बजट निम्नानुसार अनुमोदित किया गया :-

सकल प्राप्तियाँ (पूँजीगत + राजस्व)	रुपये 6417.25 लाख ।
सकल व्यय (पूँजीगत + राजस्व)	रुपये 6337.40 लाख

मद संख्या - 15

महायोजना-2001 के प्रारुप पर विचार एवं अनुमोदन ।

मेरठ महायोजना- 2001 के प्रारुप को बोर्ड बैठक मे प्रस्तुत किया गया तथा महायोजना - 2001 के मुख्य बिन्दुओं से बोर्ड को अवगत कराया गया । उक्त बैठक में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश द्वारा स्वयं उपस्थित न हो सकने के कारण एवं उनके अनुरोध पर विचार करते हुए यह प्रस्ताव विस्तृत चर्चा हेतु आगामी बोर्ड बैठक मे प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया ।

अन्त में बैठक की अध्यक्षता हेतु मण्डलायुक्त का आभार व्यक्त करते हुए उपस्थिति सभी सदस्यों के लिये धन्यवाद का प्रस्ताव पारित किया गया ।

ह०/-
(हरीश चन्द्र जोशी)
सचिव
मेरठ विकास प्राधिकरण

ह०/-
(पी०के०सिन्हा)
उपाध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण

ह०/-
(एच०एल०बिरदी)
अध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण